भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1455

29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: प्रति बूंद अधिक फसल योजना के उद्देश्य और लक्ष्य

1455. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) पीडीएमसी के उपयोग से फसल की पैदावार और किसानों की आय में कितनी वृद्धि होती है;

(ग) क्या यह सच है कि पीडीएमसी के अंतर्गत राज्यों को जारी केंद्रीय सहायता 2019-20 में 2,700 करोड़ रुपये से घटकर 2023-24 में 2,103 करोड़ रुपये रह गई है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और पिछले पाँच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश को वर्ष-वार और जिला-बार कितनी सहायता जारी की गई है; और

(ङ) विशेषकर आन्ध्र प्रदेश के लिए 2024-25 में जारी की गई धनराशि और 2025-26 के लिए प्रस्तावित धनराशि तथा पहले छह महीनों में जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना का उद्देश्य सूक्ष्म सिंचाई, अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

i. जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के लिए कृषि में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत क्षेत्रफल में वृद्धि करना।

ii. सटीक जल प्रबंधन के माध्यम से फसलों की उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करना।

iii. जल गहन/उपभोग वाली फसलों में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना और सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों के अंतर्गत क्षेत्र फसलों के कवरेज का विस्तार करने पर पर्याप्त ध्यान देना।

iv. जल की कमी वाले, जल संकटग्रस्त और भूजल की कमी वाले ब्लॉकों/जिलों में सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

v. चल रहे कार्यक्रमों और योजनाओं की गतिविधियों, विशेष रूप से निर्मित जल स्रोत के संभावित उपयोग के लिए अभिसरण और तालमेल, दाब सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा का एकीकरण आदि।

vi. आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के साथ कृषि और बागवानी विकास के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना, विकसित करना और प्रसारित करना।

नीति आयोग ने वर्ष 2020 में पीडीएमसी योजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन किया। अध्ययन से पता चला कि यह योजना कृषि जल उपयोग दक्षता में सुधार, फसल उत्पादकता में वृद्धि, रोजगार के अवसर पैदा करने और किसानों की समग्र आय में वृद्धि जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को प्राप्त करने में प्रासंगिक है। सूक्ष्म सिंचाई अपनाने से जल उपयोग दक्षता में लगभग 30% से 70% तक सुधार हुआ और किसानों की आय में 10% से 69% तक की वृद्धि हुई।

(ग) और (घ): इस योजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता उनके द्वारा की गई प्रगति पर आधारित है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक पीडीएमसी के अंतर्गत आवंटित और जारी की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है:

रुपये करोड़ में

वर्ष	**आवंटन (बीई)**	**जारी की गई केंद्रीय सहायता**
2019-20	3500.00	2700.01
2020-21	4000.00	2562.19
2021-22	4000.00	1796.12
2022-23	3979.55	1901.37
2023-24	2983.40	2103.50
कुल	**18462.95**	**11063.19**

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश को वर्ष-वार केंद्रीय सहायता नीचे दी गई है:

रुपये करोड़ में

वर्ष	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26 (**दिनांक** 30.6.25) **तक**	**कुल**
जारी/स्वीकृत केंद्रीय सहायता	100.00	180.00	222.82	105.75	337.85	120.95	1067.37

(नोट: वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 के दौरान दर्शाई गई केंद्रीय सहायता राज्य को वास्तविक रूप से जारी की गई राशि है। वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए दर्शाए गए आंकड़े मंजूरी/ एसएनए-स्पर्श मॉडल के तहत प्राथमिक मंजूरी के हैं। दर्शाई गई राशि पूरी तरह से जारी राशि नहीं हो सकती है।)

(ङ): वर्ष 2024-25 के दौरान, पीएमआरकेवीवाई के अंतर्गत पीडीएमसी के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 2793.37 करोड़ रुपये स्वीकृत/प्राथमिक स्वीकृतियाँ जारी की गईं, जिनमें आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 337.85 करोड़ रुपये शामिल हैं। चालू वित्त वर्ष (2025-26) के लिए, दिनांक 30.6.2025 तक एसएनए-स्पर्श के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 1646.86 करोड़ रुपये की प्राथमिक स्वीकृतियाँ जारी की जा चुकी हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश के लिए 120.95 करोड़ रुपये शामिल हैं।

*****